

मस्जिद के अंदर बने कमरों में एतिकाफ करना

﴿ الاعتكاف في الغرف داخل المسجد ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

इफता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवाद: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ الاعتكاف في الغرف داخل المسجد ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्हमानिर्हीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

मस्जिद के अंदर बने कमरों में एतिकाफ करना

प्रश्न:

क्या मस्जिद के अंदर चौकीदार का कमरा और जकात कमेटी का कमरा उसके अंदर एतिकाफ करने के लिए उचित (योग्य) है ? जबकि ज्ञात रहे कि इन कमरों के दरवाजे मस्जिद के भीतर हैं।

उत्तर:

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

वे कमरे जो मस्जिद के अंदर हैं और उनके दरवाजे मस्जिद पर खुले हुए हैं, तो वे मस्जिद के हुक्म में हैं।¹ परन्तु यदि वे मस्जिद के बाहर हैं तो वे मस्जिद का हिस्सा नहीं हैं, भले ही उनके दरवाजे मस्जिद के अंदर हों।²
देखिये : फतावा इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति (10/411).

¹ इस आधार पर उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ है ; क्योंकि वे मस्जिद का हिस्सा हैं।

² इस आधार पर उनके अंदर एतिकाफ करना जाइज़ नहीं है ; क्योंकि वे मस्जिद का हिस्सा नहीं हैं।